

परिपत्र

भारत से कनाडा को आम, अनार के फल एवं दाने, संतरे और लहसुन के निर्यात के लिए पादप-स्वच्छता आवश्यकताएं

यह भारत से कनाडा को आम, अनार के फल एवं दाने, संतरे और लहसुन के निर्यात के संदर्भ में है।

एनपीपीओ-कनाडा ने दिनांक 20.01.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि ताजे आम, अनार, अनार के दाने, संतरे और लहसुन को कनाडा में प्रवेश के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए सामान्य पादप-स्वच्छता आयात आवश्यकताएं लागू होंगी, जिनका विवरण कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी (सीएफआईए) के ऑटोमेटेड इम्पोर्ट रेफरेंस सिस्टम में दिया गया है।

इन आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण के अधीन।
- शिपिंग दस्तावेजों पर सामग्री की उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सामग्री पूरी तरह से मिट्टी, कीटों, पत्तियों और/या पौधों के अवशेषों से मुक्त होनी चाहिए।
- यदि अनाज के भूसे में पैक किया गया है, तो भूसे के लिए निर्धारित आयात आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा।

नोट: यदि वस्तु (कमोडिटी) के साथ टहनियाँ या पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, तो अतिरिक्त पादप-स्वच्छता आवश्यकताएं लागू होंगी। शिपमेंट में मिट्टी की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इच्छुक निर्यातकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और भारत से कनाडा को आम, अनार के फल एवं दाने, संतरे और लहसुन के निर्यात के लिए इन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

विनीता सुधांशु

महाप्रबंधक